

फारम-VIII - क  
कार्यालय नगर परिषद दानापुर निजामत  
भवन की योजना के अनुमोदन  
उपविधि संख्या- ३(४)

आप के आवेदन संख्या- 79 तिथि- 17.08.2022 के संदर्भ में

मेसर्स विनीत होम्स प्रा० लि०, प्रबंध निदेशक-श्रीमती पुष्पम झा, पति-स्व० कैप्टन बिनीत कुमार झा, पता-ए-९०,  
रोड नं०-५, बिजिस्ट्रेट कॉलोनी, आशियाना नगर, थाना-राजीव नगर, जिला-पटना-२५

- (क) आवासीय भवन के निर्माण
- (ख) व्यवसायिक भवन के निर्माण
- (ग) भवन के पुनःनिर्माण
- (घ) विद्युत्मान भवन में परिवर्तन या परिवर्धन
- (ङ) भवन के उपयोग में परिवर्तन

हेतु दानापुर नगर परिषद/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/विहार शहरी आयोजना तथा  
विकास अधिनियम, 2012 के अधीन स्कीम के ७९. लौट नं०- 1246(अंश), घाता नं०- 319, तौजी  
नं०-५४०, थाना नं०-२१, मौजा-दानापुर शहजादपुर, पता-थाना- दानापुर, जिला- पटना के बावत  
निम्नलिखितशतों/निर्वद्धनों के अध्याधीन एतद् द्वारा भवन योजना जिसका लान केस नं०-...७६..../२२-२३ है,  
जिसका निर्माण क्षेत्रफल Block-A-2180.26 m<sup>2</sup>, Block B- 2089.38 m<sup>2</sup> & Besm. 21.18 m<sup>2</sup> Total B/u area  
(A+B+Besm.)= 4290.82 वर्ग मीटर एवं B+G+4 की स्वाकृति दी जाती है:-

- (क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय -सह- व्यवसायिक प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
- (ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पुष्टांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
- (ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 1340.37 वर्ग मीटर का पार्किंग का स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।
- (घ) प्रमाणित निर्माण वाली भूमि 18.29 मी० चौड़ाई के अनुमोदित प्रहृत मार्ग के माध्यम से नुगम्य होगी।
- (ङ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शातिपूर्ण कब्जा में अवश्य ही।
- (च) मड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/ या विहार शहरी आयोजन तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार क्षेत्रों के अधिनस्थ नगर परिषद दानापुर आयोजना क्षेत्र में ४९.४३ वर्ग मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी उक्त उपडार के रूप में देगा।
- (छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
- (ज) इस उपबंध के अधीन दी गई अनुमति को उस भ्रंड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गई हो, के अधिकार, इक, हित बावत साध्य नहीं मानी जाएगी।

*After clarifications*

- (झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझा जायेगा।
- (ञ) बिहार भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) नियमावली (RERA), 2017 की शर्तों के अधीन राज्य में गठित भू-सम्पदा विनियमन प्राधिकरण से इस परियोजना का निवधन करना अनिवार्य होगा।
- (ट) भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों / कागजात के सत्यापन की जिम्मेवारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की बृद्धि / हेर-फेर / कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ-आवेदक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
- (ठ) भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुसुप्त ही किये जायें, भविष्य में किसी भी प्रकार के अनियमितता / विचलन पाये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण जवाबदेही आवेदक की होगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई के पात्र होगे।
- (ड) Environmental Protection Act. के तहत बहुमिले भवन के निर्माण के दौरान तक कर निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा।
- (ट) टोम अपारेट प्रबंधन नियम (Solid Waste Management Rules),2016 का अनुपालन किया जाय।
- (ण) अफोर्डेबल हाउसिंग एण्ड स्लम रिहैबिलिटेशन एवं रिडेवलपमेन्ट हाउसिंग पॉलिसी, 2017 के अन्तर्गत शेल्टर फण्ड की राशि जमा करने के उपरान्त ही भवन का निर्माण करना होगा।
- (त) ऐन बाटर हार्डवेस्टिंग सिस्टम एवं सी0सी0टी0भी0 कैमरे का अनिवार्यस्वरूप से भवन में अनुपालन करना होगा।
- (थ) भविष्य में अगर केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / अम संसाधन विभाग / आवकर विभाग / अन्य किसी विभाग द्वारा किसी प्रकार का कर / शुल्क लगाया जाता है तो उसका भूगतान आपके द्वारा देय होगा।
- (द) नगर परिषद दानापुर निजामत को कभी भी कोई नियम / शर्त लगाने का अधिकार होगा।
- (थ) अन्य शर्त
- बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007, बिहार भवन उपविधि 2014 एवं बिहार भवन उपविधि 2014 (संशोधित) संगत प्रावधानों का अक्षरसः अनुपालन करते हुये भवन निर्माण किया जायेगा।

201-

नगर कार्यपालक पदाधिकारी  
नगर परिषद दानापुर निजामत

ज्ञापांक:- ..... 76 ..... / दिनांक:- .. 20/08/2022

प्रतिरूपित:- मेसर्स विनीत होम्स प्रा० लि०, प्रवय निदेशक-श्रीमती पुष्पम झा, पति-स्व० कैप्टन विनीत कुमार झा, पता-ए-90, रोड नं०-५, मजिस्ट्रेट कौलोनी, आशियाना नगर, थाना-राजीव नगर, जिला-पटना-25, नं०- 9334326051 को सूचनार्थ प्रेषित।

*Nidhi Chaudhary*

नगर कार्यपालक पदाधिकारी  
नगर परिषद दानापुर निजामत